पंजीयन संख्या RNI No.: MPHIN/2002/09510 डाक पंजीकृत क्रमांक मालवा डिवीजन/204/2024-2026 उज्जैन (म.प्र.)

UGC Care Listed and Peer Reviewed Referred Bilingual Monthly International Research Journal

प्रेषण दिनांक 30 पृष्ठ संख्या 28

आश्वस्त

वर्ष 27, अंक 261 जुलाई 2025

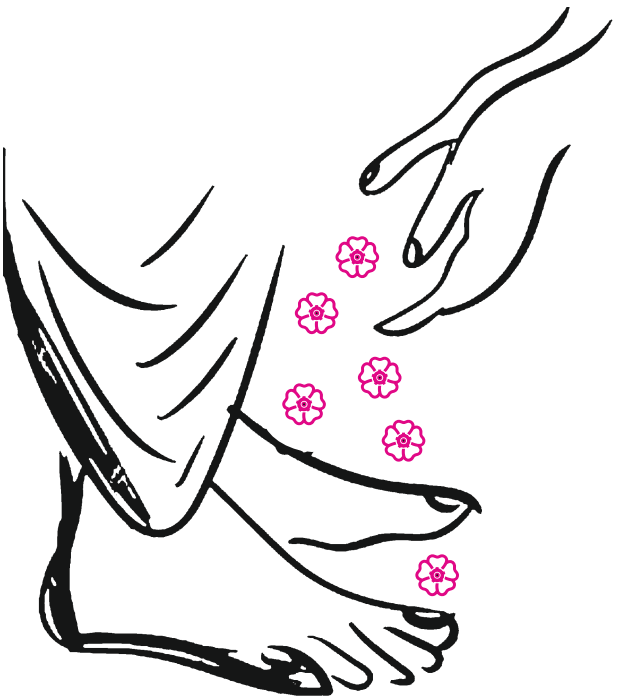

तस्मै श्री गुरुवे नमः

संपादक – डॉ. तारा परमार

भारती दलित साहित्य अकादमी मध्यप्रदेश, उज्जैन की अन्तर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका

वर्ष : 27 अंक 261
जुलाई 2025

आश्वस्त

(सन् 1983 से निरंतर प्रकाशित)

RNI No.: MPHIN/2002/09510
ISSN : 2456-8856

भारती दलित साहित्य अकादमी मध्यप्रदेश, उज्जैन (पंजीयन क्रमांक 2327 दिनांक 13/05/1999) की मासिक पत्रिका

संस्थापक सम्पादक
डॉ. पुरुषोत्तम सत्यप्रेमी

संरक्षक
सेवाराम खाण्डेगर
11/3, अलखनन्दा नगर, बिड़ला हॉस्पिटल के पीछे,
उज्जैन मो.: 98269-37400

परामर्श
आयु. सूरज डामोर IAS
पूर्व सचिव-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण वि.
म.प्र.शासन, भोपाल मो. 094253-16830

सम्पादक
डॉ. तारा परमार
9-बी, इन्द्रपुरी, सेठी नगर, उज्जैन-456010
मो. 94248-92775

सम्पादक मण्डल :
डॉ. जयप्रकाश कर्दम, दिल्ली
डॉ. खन्नाप्रसाद अमीन, गुजरात
डॉ. जसवंत भाई पण्ड्या, गुजरात
डॉ. शैलेन्द्र कुमार शर्मा, म.प्र.

Peer Review Committee
डॉ. श्रवणकुमार मेघ, जोधपुर(राजस्थान)
प्रो. दत्तात्रय मुरुमकर, मुंबई (महाराष्ट्र)
प्रो. रश्मि श्रीवास्तव, उज्जैन (म.प्र.)
डॉ. बी.ए.सावंत, सांगली (महाराष्ट्र)

कानूनी सलाहकार
श्री खालीक मन्सूरी एडव्होकेट, उज्जैन

अनुक्रमणिका

क्र.	विषय	लेखक	पृष्ठ
1	अपनी बात	डॉ. तारा परमार	3
2	भारत में कृषि के विकास में महिलाओं की भूमिका एवं महिला सशक्तिकरण का महत्व	दीप्ती वर्मा शोध छात्रा प्रतिमा सिंह सहायक प्राध्यापक	4
3	हिंदी साहित्य का पूर्व-मध्यकालीन समय और समाज	राज कुमार शोधार्थी	6
4	Criminal Mediation in India : A Nerrow Gate Under the Watchful Eye of the Court	Piyush Joshi Dr. Adhara Deshpande	9
5	Role of The Supreme Court In Good Governance : An Analysis	Mr. Parminder Singh Research Scholar Mr. Manjit Singh Assistant Professor	16
6	राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पाठ्यक्रम एवं कौशल विकास का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विश्लेषणात्मक अध्ययन	देवकी रावत शोधार्थिनी डॉ. बिन्दु सिंह सहायक प्रोफेसर	20
7	AI-Driven Financial Strategies : Transforming Business Decision Making	Dr. Abhishikha Parmar	22
6	दलित शिक्षा : जाति एवं अर्थव्यवस्था के संदर्भ में	डॉ. प्रताप जगन्नाथ फलफले	24

UGC Care Listed Journal
खाते का नाम - आश्वस्त (Ashwast)
खाते का नं.- 63040357829
बैंक - भारतीय स्टेट बैंक,
शाखा- फ्रीगंज, उज्जैन (Freeganj, Ujjain)
IFS Code - SBIN0030108

Web : www.aashwastujjain.com
E-mail : aashwastbdsamp@gmail.com

एक प्रति का मूल्य	:	रुपये 20/-
वार्षिक सदस्यता शुल्क	:	रुपये 200/-
आजीवन सदस्यता शुल्क	:	रुपये 2,000/-
संरक्षक सदस्यता शुल्क	:	रुपये 20,000/-

विशेष : सम्पादन, प्रकाशन एवं प्रबंध अवैतनिक तथा पत्रिका में प्रकाशित विचारों से सम्पादक-मंडल का सहमत होना आवश्यक नहीं है। विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र उज्जैन रहेंगा।

अपनी बात

मानव जीवन में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। जीवन के सर्वांगीण विकास के लिये शिक्षा ही ऐसी प्रक्रिया है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी जन्मजात शक्तियों को विकसित कर सकता है। अपने व्यवहार एवं विचारों में शिक्षा के माध्यम से निरन्तर परिवर्तन परिमार्जन कर विकास कर सकता है। शिक्षा के द्वारा ही वह अपनी संस्कृति एवं सभ्यता को संग्रहित और सुरक्षित रख सकता है। शिक्षा जीवन के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि सभी क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। शिक्षा जीवन में सफलता की कुंजी है।

हमारे महान मानवतावादी तथागत बुद्ध, महात्मा ज्योति बा फुले–सावित्रीबाई फुले, संविधान शिल्पी डॉ. भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने शिक्षा पर न केवल बल दिया वरन् तत्कालीन समाज में अथक संघर्ष किया। तथागत बुद्ध मानव को बुद्धि की शरण में जाने का संदेश देते हैं जो ज्ञान के द्वारा ही संभव है। महात्मा फुले ने कहा है–दलितों व महिलाओं के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है जिससे उनमें आत्म–सम्मान की भावना जागृत होगी। एक नई संगठन शक्ति उभरेगी व दासता से जूझने का सामर्थ्य पैदा होगा। उन्होंने लिखा भी है –

''विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई।
गति बिना धन गया, धन के बिना शूद्रों की दुर्दशा हुई।''

इतना बड़ा अनर्थ अकेले अविद्या से हुआ।

बाबा साहेब डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने तो शिक्षा की तुलना शेरनी के दूध से करते हुए कहा है – ''शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पियेगा वह दहाड़ेगा।'' शिक्षा मानव के लिए सबसे बड़ा शस्त्र है जो हमें अज्ञानता से ज्ञान की ओर अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। शिक्षा का उद्देश्य मानव को मानव बनाना है, उसमें पूरा विश्वास जगाना, आत्म निर्भर बनाना और चरित्र का निर्माण करना है। प्रो. मैकेन्जी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है–''शिक्षा मानवीय प्रगति की निर्देशिका है।'' इसी प्रकार थिओडोर रूजवेल्ट ने लिखा है–''किसी व्यक्ति को नैतिक शिक्षा दिये बिना वैचारिक शिक्षा देना समाज के लिए संकट को न्यौता देना है।''

समाज के व्यापक हितों का ध्यान गुरुत्वाकर्षण के नियमों की तरह ही नैतिकता के बुनियादी मूल्य सर्वव्यापी है। जिस प्रकार अनुशासन के बिना आजादी बर्बादी लाती है, उसी तरह मूल्यों और सिद्धांतों के बिना समाज नष्ट हो जाता है। एक समाज अच्छा या बुरा उसके नागरिकों के नैतिक मूल्यों के आधार पर बनता है। इन्हीं नैतिक मूल्यों से समाज को शक्ति मिलती है और केवल मजबूत इरादों वाले लोग ही एक मजबूत समाज का निर्माण करते हैं। हमें अपने जीवन–मूल्यों को नैतिकता की कसौटी पर परखना होगा। जो बात नैतिक दृष्टि से सही है, वही सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से सही होती है।

आज हम सूचना क्रांति वाले युग में रह रहे हैं। एक जानकारी के अनुसार सूचना की मात्रा प्रतिवर्ष दुगनी होती जा रही है। सूचनाओं की इतनी सरलता व तेजी से उपलब्ध होने के कारण इन दिनों अज्ञानता को मिटाना आसान है, लेकिन खेद की बात यह है कि हमें जरूरी जानकारियों के अलावा बाकी हर जानकारी सिखाई जाती है। हमें लिखना–पढ़ना सिखाया जाता है परंतु ऐसी बौद्धिक शिक्षा किस काम की जो इंसान को दूसरों की इज्जत करना और हमदर्दी से पेश आना न सिखाए।

यदि शिक्षा संस्कार और विकास की बात करें तो शिक्षा संस्थान की पहचान उसकी इमारत से नहीं बल्कि वहाँ से पढ़कर निकले विद्यार्थियों के संस्कारों से होती है। हमारा जोर शिक्षा के साथ–साथ संस्कार देने पर भी होना चाहिए।

– डॉ. तारा परमार

भारत में कृषि के विकास में महिलाओं की भूमिका एवं महिला सशक्तिकरण का महत्व

– **प्रतिमा सिंह** सहायक प्राध्यापक

– **दीप्ती वर्मा,** शोध छात्रा

शोध सार

यह अध्ययन भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए रणनीतियों को अपनाकर कृषि के विकास में उनकी भूमिका की जाँच करता है। महिला सशक्तिकरण एक व्यापक शब्द है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार से किया जाता है। यह एक वैश्विक मुद्दा है, जो पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से बढ़ा है। महिला सशक्तिकरण विषय पर हितकर्ताओं, सरकार तथा शोधकर्ताओं का ध्यान आकर्षित हुआ है। अब यह व्यापक तौर पर माना जाने लगा है कि विकास के लिए समानता और महिला सशक्तिकरण एक महत्वपूर्ण अंग है। प्रस्तुत शोध पत्र महिला सशक्तिकरण और कृषि में इसके आयामों की वैचारिक स्पष्टता विकसित करने का एक प्रयास है। उपलब्ध साहित्य के अनुसार यह समीक्षा की गई कि महिला सशक्तिकरण एक जटिल तथा बहुआयामी अवधारणा है।

शब्द कुँजी : कृषि, लैंगिक असमानता, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण भारत ।

परिचय

कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों की लगभग 80 प्रतिशत महिलाएँ कार्यरत है। कृषि क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद महिलाओं को संसाधनों, शिक्षा और निर्णय लेने की स्थिति तक सीमित पहुँच सहित विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कृषि में महिलाएँ महत्वपूर्ण एवं निर्णायक भूमिका निभाती हैं। वे कृषि से सम्बन्धित विभिन्न गतिविधियों से जुड़ी हुई हैं जैसे खेत की सफाई, खेती की तैयारी, बुआई, निराई, कटाई, अनाज की सफाई आदि । परन्तु दुर्भाग्यवश वे आज भी एक अदृश्य श्रमिक बनी हुई हैं। साथ ही अशिक्षा संसाधनों की कमी और सामाजिक तथा सांस्कृतिक रुढ़ियों जैसे विभिन्न कारकों के कारण कृषि में महिलाओं की भागीदारी सीमित है। भारत में सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने, गरीबी तथा बेरोजगारी को कम करने के लिए कृषि में महिलाओं को सशक्त बनाना आवश्यक है।

ग्रामीण महिलाएँ सतत विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहीं हैं। घरेलू और कृषि गतिविधियों से देश की अर्थव्यवस्था के विकास में उनका योगदान आज पुरुषों के समान है। महिला सशक्तिकरण ग्रामीण महिलाओं के लिए विभिन्न सशक्तिकरण के घटकों में से सबसे महत्वपूर्ण घटक है। महिलाएँ कृषक और व्यवसायी दोनों रूपों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। साथ ही साथ वे घरेलू तौर पर पोषण प्रबन्धन भी करती है। कृषि प्रधान देशों में कृषि श्रम का लगभग आधा हिस्सा महिलाओं का है। हॉलाकि महिला और पुरुष किसानों की भूमिका की प्रकृति क्षेत्र, संस्कृति तथा फसल के अनुसार अलग–अलग होती है। खेतों में महिलाओं के निरन्तर योगदान के साथ–साथ लैंगिक असमानता के कारण घरेलू गतिविधियों में भोजन की तैयारी, जल का प्रबन्धन, ईंधन इकट्ठा करना एवं बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी भी उठाती है। महिला सशक्तिकरण के माध्यम से लैंगिक समानता को बढ़ावा दिए जाने से कौशल विकास योजनाओं तथा कृषि क्षेत्र से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं के योग दान से कृषि उत्पादकता को और अधिक बढ़ाया जा सकता है। चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं ज्यादातर अपनी अजीविका के लिए बड़ी संख्या में कृषि पर आश्रित है, इसलिए कृषि उत्पादकता के प्रति असुरक्षा उनके सशक्तिकरण के स्तर से काफी प्रभावित होती हैं।

कृषि में महिला सशक्तिकरण के आयाम

कृषि में महिलाएं पुरुषों के समान ही अपना पूरा योगदान देती है परन्तु उन्हें पुरुषों के समान उसका भुगतान नहीं मिलता। महिलाएं भारत की कृषि तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। उनकी कड़ी मेहनत न

केवल अवैतनिक रही है, बल्कि अधिकांशतः अपरिचित भी रही हैं। वे कृषि, पशु रख–रखाव और घरों में दैनिक कार्यों में लगी रहती हैं। वे परिवार की देखभाल तथा उनके भरण–पोषण की व्यवस्था करती हैं। वे अपने परिवार के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका पूरी जिम्मेदारी से निभाती हैं।

निर्णय तथा आय के उपयोग पर नियन्त्रण

परिवार में आय से सम्बन्धित निर्णय लेने वाला एक मात्र व्यक्ति पुरुष होता है। इसका आशय है कि महिलाएं अपने धन का वहन स्वयं की इच्छानुसार नहीं कर सकती, घर का मुखिया पुरुष या उसका पति ही वह व्यक्ति है जो आय का उपयोग कहाँ और कैसे करना है इसका निर्णय लेता है। हाँलाकि सम्पूर्ण कृषि उपज की बिक्री आमतौर पर पुरुषों द्वारा की जाती है जिसके कारण घरेलू आय पर उन्हें पूरा अधिकार मिल जाता है। महिलाओं को उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पुरुषों पर निर्भर रहना पड़ता है।

कार्यभार तथा समय आवंटन

कृषि कार्यों से जुड़ी महिलाओं को कृषि कार्य के साथ–साथ घरेलू कार्यों को भी करना पड़ता है। जिसका दुष्परिणाम यह है कि स्वयं के लिए उन्हें वक्त ही नहीं मिल पाता। महिलाओं के लिए समय की कमी एवं अतिरिक्त काम का बोझ न केवल उनको प्रभावित करता है बल्कि उनके परिवार के सदस्यों की देखभाल एवं कल्याण पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है।

शिक्षा तथा अधिकार

शिक्षा महिलाओं को सशक्त बनाने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। महिलाएं शिक्षित होंगी तो अर्थव्यवस्था में भी सुधार आयेगा। शिक्षा उन्हें अनेकों अवसर प्रदान करने, लैंगिक असमानता को दूर करने तथा सशक्त बनने में मदद करती है। अधिकांश ग्रामीण महिलाएँ जो कृषि कार्य से सम्बन्धित हैं वे अशिक्षित हैं। अशिक्षा अधिक कुशल श्रम में कार्य करने से महिलाओं को रोकती है। अशिक्षा ही लिंग भेद का महत्वपूर्ण कारण भी बनती है। रोजगार आवश्यकता और शिक्षा की कमी भारत में अधिकांश महिलाओं को असुरक्षित बनाती है। यद्यपि कानून द्वारा महिलाओं को सम्पत्ति का समान अधिकार प्राप्त है। फिर भी, व्यवहारिक तौर पर इसका लाभ उनको नही मिल पाता है। भारत की मजबूत पितृसत्तात्मक प्रथा के कारण परिवार के पुरुष घर की महिलाओं पर अधिकार रखते हैं। कानून की ढीली प्रक्रिया के कारण ज्यादातर महिलाएं पैतृक सम्पत्ति से वंचित रह जाती हैं।

निष्कर्ष

समाज का एक अटूट हिस्सा महिलाएं जो घरेलू तथा अन्य कार्यों के द्वारा देश की अर्थव्यवस्था के सतत् विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसके बावजूद उनकी अवहेलना की जाती । जीवन के हर मोड़ पर उन्हें असमानता तथा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। देश तथा समाज के विकास के लिए महिलाओं को सशक्त बनाना एक अहम मुद्दा है। महिला सशक्तिकरण से कृषि उत्पादकता को बढावा मिलने से आजीविका में सुधार होगा जिससे वे अपने परिवार की बेहतर तरीके से देखरेख कर सकेंगी। महिलाओं को वित्तीय तथा निर्णय लेने की स्वतन्त्रता मिलनी चाहिए।

लैंगिक समानता तथा महिला सशक्तिकरण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, अर्थात् महिला सशक्तिकरण उन बाधाओं को दूर करती है जो महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, सामाजिक–राजनीतिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों का हिस्सा बनने से रोकती है एवं समान अवसर प्रदान करती हैं। समानता और विकास आपस में जुड़े हुए हैं। जिसमें लैंगिक असमानता की बात की जाए तो जनसंख्या का आधा हिस्सा इससे प्रभावित होता है। महिला सशक्तिकरण के माध्यम से लैंगिक समानता पर जोर देने से महिलाएं भी विकास की ओर अग्रसर होंगी। जिसका सकारात्मक प्रभाव देश के विकास में देखने को मिलेगा। महिलाओं की कृषि क्षेत्र में निरन्तरता को बनाए रखने के लिए उन्हें भूमि सम्पत्ति पर अधिकार दिया जाना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। क्योंकि इसके माध्यमसे उनको बैंकों से ऋण प्राप्त करने में कोई मुश्किल नहीं होगी और वे आधुनिक मशीनों तथा तकनीकि का उपयोग कर कृषि उत्पादन तथा

विपणन करने का फैसला ले सकेंगी। इस प्रकार सही मायने में ग्रामीण महिलाओं को महिला किसान के रुप में पहचान मिल सकेगी।

– **दीप्ती वर्मा** शोध छात्रा (समाजशास्त्र)
महिला महाविद्यालय पी.जी. कॉलेज
किदवईनगर, कानपुर (उ.प्र.) मो. 9454143500

– **प्रतिमा सिंह** सहायक प्राध्यापक
(समाजशास्त्र) जुहारी देवी गर्ल्स पी. जी. कॉलेज,
कानपुर (उ.प्र.) मो. 8787048518)

संदर्भ :

- अली, एम. एम. और कुमार, जी. एस. (2024) । श्भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए रणनीति अपनाकर कृषि के विकास में उनकी भूमिका, विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में बहुविषयक अनुसंधान की अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका, आईएसएसएन. 2582–7291 / खंड : 7 / अंक : 5
- एंडरसन, सी. एल. और रेनॉल्ड्स, टी. डब्ल्यू. (2021)। श्कृषि में महिलाओं के सशक्तिकरण के आर्थिक लाभरू मान्यताएँ और साक्ष्य विकास अध्ययन पत्रिका, खंडरू 57, संख्या 2, 193–208, DOI : 10. 1080 / 00220388–2020.17690711
- श्रीनिवास, डी. और सिद्देगौड़ा, वाई. एस. (2015)। महिला सशक्तिकरण में हालिया रुझान : एक विश्लेषण, सामाजिक विज्ञान की अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा और शोध पत्रिका, ई– ISSN : 2454–9916 / खंड : 1 / अंक : 5.
- तपन, एन. (2000). श्महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता, सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान द्वारा प्रकाशित, रावत प्रकाशन, ISSN : 81–7033–629–5.

हिंदी साहित्य का पूर्व–मध्यकालीन समय और समाज

– **राज कुमार** शोधार्थी

शोध सारांश :–

साहित्य में समय और समाज का महत्वपूर्ण योगदान है। समय और समाज से मिलकर ही साहित्य की सृष्टि होती है । समय जब बदलता है तो साहित्य का स्वरूप भी बदलता चला जाता है। भारत एक ऐसा देश है, जहाँ पर अलग–अलग समय पर अलग–अलग शासकों ने यहाँ पर शासन किया है। जिससे यहाँ की जनता भी उनकी संस्कृति से प्रभावित हुई। जिससे एक नई संस्कृति और समाज का निर्माण हुआ। नई संस्कृति और समाज के निर्माण से वहाँ की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में भी बदलाव आया है। हिंदी साहित्य में पूर्व–मध्यकाल के अंतर्गत भक्तिकाल पूर्ण रूप से आता है और रीतिकाल को उत्तर–मध्यकाल के अंतर्गत रखा गया है। भक्तिकाल के समय को देखा जाए तो इस समय भारत में मुसलमानों का अधिकार था।

बीज शब्द : साहित्य, संस्कृति, साम्राज्य, खान–पान, धर्मांतरण, भक्ति, कला, राजनीति, धार्मिक, सामाजिक।

शोध आलेख :–

हिंदी साहित्य में साहित्य का काल विभाजन अनेक विद्वानों ने अपने–अपने मतानुसार किया है। इन सभी विद्वानों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन सर्वाधिक प्रामाणिक माना जाता है। शुक्ल जी ने अपने ग्रंथ 'हिंदी साहित्य का इतिहास' का काल विभाजन उस काल की प्रवृति को ध्यान में रखकर किया है। शुक्ल जी ने पूर्व–मध्यकाल का समय 1318–1643 ई. तक किया है। पूर्व–मध्यकालीन समय और समाज को जानने के लिए मध्य कालीन धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक

रूप को समझना आवश्यक हो जाता है।

पूर्व– मध्यकालीन राजनीतिक स्थिति :– हिंदी साहित्य में पूर्व–मध्यकाल का आरंभ मुहम्मद बिन तुगलक के शासन काल से होता है ।माना जाता है कि मुहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासन काल में तांबे के सिक्के भी चलाए थे। मुहम्मद बिन तुगलक ने अपने राज्य विस्तार के लिए चीन पर कई बार आक्रमण भी किया था। तुगलक हिंदुओं के प्रति उदारमना था। तुगलक के उतराधिकारी फिरोज का स्वभाव मुहम्मद बिन तुगलक से भिन्न था। हिन्दू प्रजा के प्रति उनके मन में वह आदरभाव नहीं था, जो सम्मान का भाव मुहम्मद बिन तुगलक में था। जिसके कारण उनके प्रति विद्रोह होने लगे और दिल्ली सल्तनत में बिखराव उत्पन्न होने लगा। इसका उत्तराधिकारी जूनाशाह हुआ। जूनाशाह का वर्णन मुल्ला दाऊद ने अपने 'चंदायन' में किया है । इसके बाद दिल्ली पर सैयद वंश का अधिकार हो गया जो 1451 ई. तक स्थापित रहा। इसके पश्चात केन्द्रीय सत्ता कमजोर होने लगी और मालवा, गुजरात, जौनपुर, बंगाल, बहमनी राज्य इत्यादि स्वतंत्र राज्य बनने लगे। मुगल वंश की नींव जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबर ने रखी। बाबर के पिता फरगाना के एक छोटे से राज्य के अधिपति थे। पिता की मृत्यु के समय बाबर की आयु मात्र बारह वर्ष थी। छोटी–सी उम्र में उत्तराधिकारी बनने के कारण इसे शुरू से ही शत्रुओं से सामना करना पड़ा और इसी बीच इन्होंने समरकन्द को जीतकर अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। बाबर एक अच्छे राजनीतिज्ञ होने के साथ–साथ एक अच्छे साहित्यकार भी थे। 'बाबरनामा' में तत्कालीन परिस्थिति और राजनीतिक स्थितिका विवरण मिलता है। बाबर के बाद मुगल काल में सर्वाधिक नाम अकबर का आता है। "अकबर ने बंगाल, बिहार, गुजरात और कश्मीर को जीतकर अपना राज्य विस्तार किया। इसी समय उसने फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया।" अकबर ने अपने शासन काल में हिंदुओं के साथ पक्षपात किए बिना साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास किया। कहा जाता है कि अकबर पहला मुस्लिम शासक है, जिन्होंने हिंदुओं के त्योहार होली में शामिल होकर अबीर और रंगों से त्योहार मनाया। इस तरह से देखा जाए तो जिस तरह मुस्लिम शासकों ने शुरुआती दौर में हिंदुओं के साथ अत्याचार किया उसी तरह इसके उत्तराधिकारियों ने हिंदुओं के साथ समानता की भावना को जागृत किया।

पूर्व–मध्यकालीन सामाजिक स्थिति :– मध्यकालीन भारतीय मुस्लिम समज की स्थिति हिंदुओं के समान ही थी। इस समय धर्मांतरित मुसलमानों में हिन्दू संस्कार अब भी मौजूद था। प्रारंभ में मुस्लिमों ने जिस तरह से धर्मांतरण के लिए हिंदुओं को बाध्य किया था। वह बाद में धार्मिक सहिष्णुता और सद्भावना के रूप में परिवर्तित होने लगा था। इसमें सूफी साधकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दैनिक जीवन, खान–पान, रहन–सहन, पर्व–त्योहार की दृष्टि से तत्कालीन भारतीय समाज गरीब और अमीर दो वर्गों में विभक्त था। एक वर्ग के पास भरपूर सुख–सुविधा उपलब्ध थी। जिसमें सुल्तान, राजा–महाराजा, सामंत और सेठ–साहूकार आते हैं । वहीं दूसरे वर्ग के पास सुविधा के नाम पर घास और मिट्टी से निर्मित टूटी–फूटी झोपड़ी और छप्पर था। इस वर्ग के लोग दीन–रात मेहनत करके अपने लिए दो वक्त के भोजन की व्यवस्था भी नहीं कर सकते थे। दूसरे वर्ग में किसान, मजदूर, सैनिक, कर्मचारी और राज्य की सामान्य जनता शामिल थी। पेलसपार्ट नामक लेखक ने मुगल काल का जिक्र करते हुए लिखा है कि इस समय समाज में तीन ऐसे वर्ग थे जिसको न इच्छानुसार काम मिलता था और ना ही परिश्रम के अनुरूप पारिश्रमिक मिलता था । इस वर्ग में किसान, दुकानदार और श्रमिक आते थे। जो अपने जीवन जी नहीं रहे थे, वे अपने जीवन को ढो रहे थे।

दुकानदारों को हमेशा यह भय बना रहता था कि राजा के दुष्ट कर्मचारी उनके सामान को लूट ना लें। वे अपनी चीजों को हमेशा छिपाकर रखते थे। इस समय के साधु–संतों ने पाखण्ड को अपना लिया था। ये साधू–संत बड़े–बड़े मठों के महंत बनकर भोग और लिप्सा को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लिया था। गोस्वामी जी ने इन्हीं सब को देखकर ही शायद 'कवितावली'में यह लिखा है–

"खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बलि,
बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी" ।

पूर्व–मध्यकालीन सांस्कृतिक स्थिति : – पूर्व–मध्यकालीन समय में हिन्दू समाज विशेष रूप से दो भागों में विभाजित था । पहला वर्ग वह था जो शास्त्रों का समर्थक था। वहीं दूसरा वर्ग वह था जो परंपरागत मान्यताओं, विश्वासों और स्वानुभूति का समर्थक था । यह दूसरा पक्ष ही पौराणिक है और स्वानुभूति पर निर्भर होने के कारण इसी पर अधिक बल दिया जाता था । मध्यकाल में जीवकोपार्जन के लिए हिन्दू समाज मुख्य रूप से परिवार और समाज में विभक्त था। हिन्दूओं में समाज वृहत्तर इकाई था तो परिवार लघुतर । इस समय की महिलाएँ पितृ प्रधान समाज में पुरुषों द्वारा शोषण व अत्यचार किए जाने के बाद भी अपने जीवन निर्वाह के लिए रूढ़िगत परंपराओं और मान्यताओं को मानने के लिए बाध्य थी । इस काल की सबसे बड़ी विडम्बना महिलाओं के लिए सतीप्रथा जैसी कुरीति थी ।

पूर्व–मध्यकाल में मुस्लिमों के आने से हिंदुओं के वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला और संगीतकला में भी परिवर्तन आया। इसके पहले हिन्दू कारीगरों द्वारा भवन निर्माण के लिए कड़ियों का सहारा लिया जाता था और मुस्लिम कारीगरों द्वारा मेहराबों का। मुस्लिमों के आगमन के बाद हिन्दू कारीगरों ने भी भवन निर्माण के लिए मेहराबों का निर्माण करना आरंभ कर दिया। तैमूर के शासनकाल में वास्तुकला जो मृत–सी जान पड़ रही थी, उसे मुगलों ने विकास के शिखर पर पहुँचा दिया।

निष्कर्ष:–पूर्व–मध्यकालीन समय का अध्ययन करने से यह निश्चित हो जाता है कि इस समय राजाओं द्वारा साम्राज्य विस्तार के लिए बार–बार युद्ध करने से यहाँ की जनता में जन–धन की हानि हो रही थी। जिससे निम्न वर्ग के लोगों का विकास नहीं हो पा रहा था। इस समय की जनता इतनी त्रस्त और भयभीत हो चुकी थी कि उनके पास अब ईश्वर को पुकारने के अतिरिक्त और कोई दूसरा विकल्प नहीं था। इसी के फलस्वरूप भक्तिकाल का आगमन हुआ। इस समय समाज में स्त्रियों की स्थिति सबसे दयनीय थी। इस समय स्त्रियों में शिक्षा का अभाव था। वे घर के अंदर ही घूँघट ढँक कर विभिन्न कुरीतियों को ढोते हुए जीवन–यापन करने के लिए बाध्य थी। मुस्लिमों के आगमन से भारतीय वास्तुकला, चित्र कला, मूर्तिकला और संगीतकला का विस्तार हुआ ।

– **राज कुमार,** शोधार्थी
हिंदी साहित्य विभाग
महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा,
(महाराष्ट्र)–442001 संपर्क नंबर 9340357196

संदर्भ :

(1) नगेन्द्र. और हरदयाल. (2019). हिंदी साहित्य का इतिहास. नयी दिल्ली : मयूर बुक्स.
(2) चतुर्वेदी, रामस्वरुप.(2010). मध्यकालीन हिंदी काव्यभाषा. इलाहाबाद : लोकभारती प्रकाशन.
(3) गुप्त, गणपतिचंद्र. (2007). हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास. इलाहाबाद : लोकभारती प्रकाशन.
(4) मिश्र, शिवकुमार. (2009). हिंदी साहित्य संक्षिप्त इतिहास. पटना : वाणी प्रकाशन.
(5) द्विवेदी, हजारीप्रसाद. (2009). हिंदी साहित्य उद्‌भव और विकास. नयी दिल्ली रू राजकमल प्रकाशन.
(6) फिलिप, वी.एन. (2000). मध्यकालीन हिंदी भक्ति साहित्य की प्रासंगिकता. मथुरा रू जवाहर पुस्तकालय.
(7) सिंह, सुधा. (2004). मध्यकालीन साहित्य विमर्श. कोलकाता : आनंद प्रकाशन.
(8) कुकरेती, हेमंत. (2015). हिंदी साहित्य का इतिहास. नयी दिल्ली : किताब घर प्रकाशन.
(9) वर्मा, जयनारायण. (2013). हिंदी साहित्य का इतिहास. गाजियाबाद : तरुण प्रकाशन.

Criminal Mediation in India : A Narrow Gate Under the Watchful Eyes of the Court

Piyush Joshi[1]
Dr. Adhara Deshpande[2]

Abstract : An ideal society believes in peaceful co-existence. However, it is an irony that there cannot be a society without disputes between people. Therefore, some mechanism is needed to resolve these disputes, which is easy, dependable and lawful. "Mediation" is one of these mechanisms which is recognised since ancient times. After the arrival of Mediation Act in the year 2023, there is a remarkable shift in people's choices in resolving the disputes through mediation rather than the traditional courts. Due to its several advantages, mediation is accepted as one of the most preferred methods of dispute resolution today. Although, there is a limitation towards its applicability in criminal cases, Section 6 of the Mediation Act 2023, provides certain exceptions to that effect. Through a comprehensive review of the Mediation Act 2023, this paper analyses the applicability of the Mediation in the Criminal Laws.

Keywords : - Mediation-Applicability- Criminal Laws-Compoundable Offences-Matrimonial Offences.

Introduction : Mediation is a method under the Alternative Dispute Resolution Mechanisms to resolve the dispute amicably between the parties, wherein the Mediator, tries to facilitate the settlement between the parties by providing amicable solution. There is a win-win situation between the parties as the disputes is resolved. This method of solving the dispute was practiced since times immemorable, however, it was only in 2023 a comprehensive law for mediation was enacted. Mediation primarily is for resolving the disputes of civil nature however, section 6, has given some room for resolution of the disputes of criminal nature, if they pertain to the compoundable offences or matrimonial offences that are pending before the court of law.

Definition of the mediation and mediator : Section 3(h) and 3(i) of the Mediation Act 2023; defines mediation and mediator as follows :

"mediation" includes a process, whether

referred to by the expression mediation, pre-litigation mediation, online mediation, community mediation, conciliation or an expression of similar import, whereby parties attempt to reach an amicable settlement of their dispute with the assistance of a third person referred to as mediator, who does not have the authority to impose a settlement upon the parties to the dispute;

Herein, the law makers have given an inclusive definition of Mediation, whereby the earlier confusion between the mediation as well as conciliation is obliterated. Similarly, the Act has given liberty to the parties not only choose the mediator but also, whether to go ahead or not with the outcome of the mediation, by entering into a mediated settlement agreement.

"mediator" means a person who is appointed to be a mediator, by the parties or by a mediation service provider, to undertake mediation, and includes a person registered as mediator with the Council.

The mediator acts as the person to who attempt to facilitate voluntary resolution of the dispute by the parties and generating options in an attempt to resolve the dispute expeditiously, emphasising that it is the responsibility of the parties to take decision regarding their claims and not the mediator.

Compoundable Offence : Section 359, of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (BNSS-2023) deals with compoundable offences giving comprehensive list of the offences which can be compoundable by person mentioned in the third column of the table by virtue of section 359(1) whereas under section 359(2); additional permission is required by the court is where the prosecution is pending. However, BNSS-2023 does not defined compoundable offence. In ordinary parlance "compoundable offence" means "an offence in which the complainant (the victim) is allowed to enter into a compromise with the accused, leading to the acquittal of accused with whom the offence has been compounded". The law makers have taken precautionary steps by not including all the offence under this section, otherwise it will lead to tyranny and law and order situation would have a no meaning. Furthermore, in such situation law often becomes a purchasable tool in the hands of the influential and wealthy, undermining its

true purpose of delivering equal justice.

Matrimonial Offence : Earlier marriages was considered as a union of two families. However, considering the erstwhile dowry issues leading to the dowry deaths, law makers included section 498A in the Indian Penal Code 1860, by way of amendment in the year 1983 by adding new chapter XXA *i.e.* "Cruelty by Husband or Relatives of Husband" Later on after commencement of The Bharatiya Nyaya Sanhita2023, (BNS-2023), this section was renumbered as Section 85 and 86. Section 85 provides the punishment for cruelty by husband or the relatives of husband and section 86 defines the cruelty. Thereafter, to provide effective protection to women who are victims of violence occurring within the family, a new act The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005.Despite the object of the legislation to protect women, it is often misused as a tool for legal harassment primarily against husbands for getting higher alimony, maintenance, or one-time settlement.

Role of the Mediator : The role of the mediator is very limited in criminal disputes. Clause 3, of the 1st Schedule of the Mediation Act, 2023; explicitly bars disputes involving prosecution for criminal offences, from the arena of the mediation, but proviso of section 6 of Mediation Act of 2023, acts as an embargo, which gives liberty to the court, if deemed appropriate, from referring any dispute relating to compoundable offences including the matrimonial offences pending between the parties, to mediation. However, the outcome of such mediation shall not be deemed to be a judgment or decree of court referred to in sub-section (2) of section 27. Therefore, the ultimate authority to render a final judgment, including the acquittal of the accused, rightfully vests with the court and enforcement of mediated settlement agreement, could not be possible in lieu of section 27 of the Mediation Act 2023.

Although a mediated settlement agreement does not carry executory value in compoundable criminal offences and matrimonial offences, it serves as a constructive mechanism to bring the complainant and the accused to the negotiating table, thereby facilitating an amicable resolution ultimately recognized and endorsed by the court, not by the mediator.

Conclusion:

The framers of the Mediation Act, 2023 have laid the foundation for resolving disputes amicably between parties, minimizing the need for court intervention. However, given the sensitive nature of criminal cases, the Act adopts a cautious approach by permitting mediation only in cases that are compoundable under law, and in certain matrimonial disputes. This reflects a balanced intent of legislature recognizing that imprisonment of the accused may sometimes harm the interests of children born out of wedlock and adversely affect the family structure. While mediators facilitate dialogue and reconciliation, the ultimate authority to render a final and binding decision rests with the court. This clear demarcation between civil and criminal mediation upholds the sanctity of the legal process and ensures justice is served in accordance with societal needs and legal principles. As well said by Lord Chief Justice Hewart in the case of *R v. Sussex Justices, ex parte McCarthy,* "Justice must not only be done, but must also be seen to be done"

- Adhara Deshpande
Associate Professor
Dr. Babasaheb Ambedkar
School of Law, Nagpur

- Piyush Joshi
Ph.d. Research Scholar
Post Graduate Teaching
Department of
Law Rashtray Sant
Tukadoji Maharaj, Nagpur
University, Nagpur
Mob. 7773928611

References :

1. Phd Research Scholar, Post Graduate Teaching Department of Law, Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University Nagpur.
   Ambedkar School of Law Nagpur.
3. The Mediation Act 2023.
4. An agreement having enforceable value of mediation terms.
5. Section 16 of Mediation Act 2023.
6. Section 27(3) of the Mediation Act 2023.
7. [1924] 1 KB 256.

"Transforming Transportation : The Role of Green Taxes and Scrap Policies in India's Auto Industry"

Abstract

India's auto industry is booming with 110 million vehicles dominating the roads. However, this growth has led to increased pollution and congestion. To address these challenges, implementing green taxes and scrapping policies can incentivize the use of eco-friendly vehicles and properly dispose of older ones. This paper aims to analyze the impact and effectiveness of these initiatives on pollution reduction and congestion alleviation. By examining the outcomes and implications, we can guide policymakers and industry experts towards a sustainable automotive landscape in India. Green taxes and scrapping policies can reshape the

industry, leading to cleaner vehicles and a better quality of life for citizens. Let's drive India towards a greener and brighter future.

1. Introduction

The Indian auto industry is currently witnessing an unprecedented and remarkable expansion, showcasing its pivotal role within the thriving Indian economy. This exceptional growth manifests itself not only in the escalating production and sales figures of vehicles, but also in the industry's extensive collaborations and associations with numerous sectors. Moreover, India is successfully positioning itself as a prominent global hub for the manufacturing of compact cars, generating immense potential and opportunities. As an esteemed team, we are diligently examining and evaluating the profound impact of this remarkable growth on both the environment and safety standards. Our aim and mission revolve around formulating and recommending comprehensive policies that not only bolster this upward trajectory but also guarantee the well-being and welfare of the Indian populace. We wholeheartedly acknowledge and comprehend the multifaceted and diverse mobility requirements of the Indian people, vowing to deliver innovative and accessible solutions that cater to the needs and preferences of each and every individual. Ultimately, our ultimate objective is to actively contribute to the sustainable and all-encompassing progress and prosperity of the Indian auto industry, fostering a future that is both environmentally conscious and socially inclusive. (Kamble et al.2023)

2. The Need for Green Taxes

It is of utmost importance to place strong emphasis on the urgent requirement of implementing green taxes and recognizing their remarkable cost-effectiveness. Our primary objective revolves around addressing the external costs that are inherently associated with motor vehicles, all the while making steadfast comparisons to other impactful policies. Throughout this entire approach, we aspire to rectify the market failure and the ineffective utilization of resources prevalent in the production of motor vehicles. One pivotal factor that necessitates fervent highlighting is the profound impact that surging fuel prices exert upon the demand for both cars and motorcycles. As the prices of fuel experience an upward trajectory, there is a simultaneous decrease in the desire for these modes of transportation, largely owing to their high sensitivity to fluctuations in price. In order to vividly showcase the indisputable effectiveness that green taxes claim, let us delve into a hypothetical scenario wherein a 20% surge in taxes culminates in an equally

proportionate surge in price. Our meticulously conducted research unequivocally illustrates that green taxes undeniably curtail vehicle sales, all while ensuring that the resultant costs remain well within the reach and manageability of consumers. Furthermore, it is of paramount significance to readily acknowledge that a staggering two-thirds of the vehicles currently in use fail to satiate the prescribed safety and emission regulations, thereby necessitating immediate attention and intervention. (Sankar2023)

3. The Impact of Scrap Policies

The policy will negatively affect low-income and lower middle-income groups by increasing vehicle ownership costs. This is because older vehicles over 15 years will no longer be roadworthy or a cost-effective purchase, leading to greater demand for new vehicles. However, increased credit availability and investment from the vehicle finance industry may partially offset this. Overall, the policy aims to reduce air pollution from vehicles and slow their growth in India. Its impact will become apparent in a few years and will continue to benefit from technological advancements and improved living standards. (Hardman et al.2021)

This policy can significantly reduce vehicle air pollutants and vehicle growth. Modeling studies indicate emissions reductions of 8% (carbon monoxide) and 3% (nitrogen oxides) in 2016 compared to the BAU scenario. Without this policy, vehicle numbers would increase significantly. This policy also supports the growth of alternative fuel and advanced technology vehicles, encouraging importing and manu-facturing for clean vehicles using scrapped vehicles as a credit source. It sets an environmental standard for vehicle sales and increases R&D funding for cleaner technology. (Maheen et al.2023)

The scrap policy aims to phase out older vehicles with higher emissions and average fuel economy. Vehicles older than 15 years will be given an incentive to deregister them and offset the cost of purchasing a new vehicle or scrapping the old one. The phased-out vehicles will be scrapped in an environmentally friendly manner to minimize environmental impact. (Kumar et al.2023)

4. Challenges and Opportunities

The automobile industry in India faces challenges and opportunities due to global competition. Exploring new avenues and diversifying the market is crucial for its growth and sustainability. The development of electric vehicles (EVs) can position India as a leader in the EV market, boosting domestic sales and creating an export market. The government can foster growth through favorable policies and incentives.

Collaborations with global giants can enhance the competitiveness of the industry and open doors to international markets. Investing in smart vehicle technology can create new opportunities for growth and innovation. Infrastructure development, skilled labor availability, and technological upgradation must be addressed. By focusing on electric vehicles, favorable policies, collaborations, and smart vehicle technology, India can thrive in the global market. (Meena and Dhir 2021)

5. Conclusion

The Indian automobile industry faces environmental challenges that require immediate attention. Green taxes and scrapping old vehicles are suggested as solutions, but convincing manufacturers may be difficult. However, adopting these policies would benefit the industry and the environment. India must confront these challenges and promote a greener future.

References :

- Kamble, S. S., Gunasekaran, A., Subramanian, N., Ghadge, A., Belhadi, A., & Venkatesh, M. (2023). Blockchain technology's impact on supply chain integration and sustainable supply chain performance: Evidence from the automotive industry. Annals of Operations Research, 327(1), 575-600.
- Sankar, U. (2023). Role of Fiscal Policy in Climate Change Mitigation in India. In India's Contemporary Macroeconomic Themes: Looking Beyond 2020 (pp. 401-419). Singapore: Springer Nature Singapore.
- Hardman, S., Fleming, K., Khare, E., & Ramadan, M. M. (2021). A perspective on equity in the transition to electric vehicle. MIT Science Policy Review, 2, 46-54.
- Maheen, R., Cai, L., Zhang, Y. S., & Zhao, M. (2023). Quantitative analysis of carbon dioxide emission reduction pathways: Towards carbon neutrality in China's power sector. Carbon Capture Science & Technology,5,100-112
- Kumar, V., Verma, A., & Kumar, A. (2023). What are the best practices for End-of-Life Vehicle management–A practical assessment of estimates, perceptions and policies. Management of Environmental Quality: An International Journal, 34(6), 1626-1646.
- Meena, A., & Dhir, S. (2021). An analysis of growth-accelerating factors for the Indian automotive industry using modified TISM. International Journal of Productivity and Performance Management, 70(6), 1361-1392.

ROLE OF THE SUPREME COURT IN GOOD GOVERNANCE : AN ANALYSIS

- **Mr. Parminder Singh**
(Research Scholar)

- Dr. Manjit Singh
(Assistant Professor),

Introduction :

The concept of "governance" is not new. It is as old as human civilization. It means the process of decision-making and the process by which decisions are implemented (or not implemented). It can be used in several contexts such as corporate governance, international governance, national governance, and local governance.[1] The quality of governance depends, in a large measure, upon the indulgence shown by subjects.[2] In 1989, the term 'Governance' was firstly used by the World Bank in the study of 'Sub-Saharan Africafrom Crisis to Sustainable Growth' to describe the importance and necessity of institutional reforms and an improvised and effective public sector in sub-Saharan countries. The study described governance as "the exercise of political power to manage a Nation's affairs". This definition did not speak about the connotation of "good". BarbrConable (1986- 1991), former World Bank president, mentioned the term 'Good Governance' in the foreword, indicating "a public service that is effective, an administration that is accountable and a judicial system that can be relied upon by the citizens."[3]

The term governance can be traced in the Greek verb "Kybernao" which means steering, guiding, or man euvering a ship or a land-based vehicle. It was metaphorically used by Plato, for depicting the governing of people.[4] Governance in its simple terms means the process or the manner in which any organization manages its affairs. It works on the enrichment of common citizens and systemizes the proper framework of the government. It also works on making effective policies in the system.[5]

Government and Good Governance :

The word governance sounds similar to government in its termino-logical similarity and is sometimes used interchangeably which can lead to grievous ramifications as both are conceptually different. The role of government and the capacity in which it

plays its role in the governance process depends upon the socio-politico-cultural ideology of a nation, like in western capitalistic countries, government has been assigned limited and minima listic role as compared to market institutions and it has been relegated back to margins, but in a nation having socialistic and communist ideology as its constitutional values, government plays a dominant role as the changing agent for country's development.[6] The term Governance is a much broader concept and it involves not only the formal actors like the government but other actors also like civil society organizations, private entities, transnationalcorporations, media, and sometimes individualcults like Gandhi's ideology.[7]

Good Governance is an approach to government that is committed to creating a system founded in justice and peace that protects individual's human rights and civil liberties. According to the United Nations, Good Governance is measured by the eight factors of Participation, Rule of Law, Transparency, Responsiveness, Consensus Oriented, Equity and Inclusiveness, Effectiveness and Efficiency, and Accountability.[8]

Indian Jurisprudential Aspect of Good Governance

The state must ensure that every citizen enjoys such rights and in case of violation, the victim whose right has been infringed can seek judicial remedy from the Supreme Court and High Court under Article 32 and Article 226 of the Indian Constitution respectively. His averments in the petition comprised of explicit declaration of good governance as a fundamental right under the rubric of Articles 14, 19, and 21 of the Constitution. It was argued that in the wake of the liberal interpretation of Articles 14, 19, and 21 of the Constitution by the Supreme Court which led to the emergence of various significant inferred rights like the right to privacy, environmental rights such as the right to clean air and clean water, right to food, right to shelter, right to information, freedom of the press and so on to constitute the core of good governance.?[9]

Can the right to good governance be made an explicit fundamental right when it has been impliedly made a fundamental right through liberal interpretation of the constitution by creating not only first-generation civil and political rights but also second-generation social and economic rights and giving recognition to third-generation environmental and development rights by the Supreme

Court?[10]

As all these right sare claimed by a citizen against the central, state, and local government, therefore, the government is duty bound to provide these rights, and the government which respects these rights and endeavors to fulfill its sacred duty is considered as good government and the process by which it is being carried out is a manifestation of good governance. Therefore, good governance as a fundamental right seems elusive in the context of rampant corruption, political and civil servant apathy towards citizens, resource constraints on the part of the state, etc.[11]

The Supreme Court dismissed the petition of good governance to be declared as fundamental right because good governance is largely the prerogative of executive and political machinery which is the core of policy formulation and declaring it as a fundamental right would mean that judiciary is venturing into the policy making of the government. Also, it will bind the court to look into every aspect of governance which is not feasible. It will also open the Pandora's box of infinite litigations and clog the court rooms which are alreadyunder severe pressure of clearing huge backlogs. [12]

Though the Supreme Court didn't conceptualize good governance as a vague or amorphous concept that cannot be crystallized into a well-defined right to been forceable by it as the legitimate demand of citizens, if it is structured into a rightthen the court will be forced to look into every aspect of governance, that is its constitutional duty. The Supreme Court's reluctance to perceive good governance as an entitlement to citizens is over shadowed by the perception of good governance as a policy aspect. However, specific instances of violation by civil servants of fundamental rights or constitutional as well as statutory bars can be taken within the sweep of the jurisdiction of the Supreme Court.[13]

However, the Supreme Court being Constitutionally assigned the role of guardian of the Rule of Law is the vanguard of all the constitutional or extra-constitutional institutions of national importance to ensure good governance by judicially reviewing the functioning of all public authorities and ensuring that they are mandated to perform their public duties towards the citizen.[14]

Conclusion :

In India, the Judiciary enjoys a very

significant position since it has been made the guardian and custodian of the Constitution. It is not only a watchdog against violation of fundamental rights guaranteed under the Constitution and thus insulates all persons, Indians, and aliens alike, against discrimination, abuse of State power, arbitrariness, etc. The concept of 'judicial governance' by itself is controversial as the judiciary in no way can be associated with governance. But we cannot ignore the facts that the judiciary is enriched with the added responsibility of preserving the rule of law, as and when the organs fail to act in accordance with the judiciary, through the spirit of the Constitution. It only states that fast and cheap dispensed justice is the key ingredient of good governance along with a successful civil society.

- Mr. Parminder Singh
(Research Scholar), Department of Law,
Guru Nanak Dev University, Amritsar (Pb).

- Dr. Manjit Singh
(Assistant Professor),
Department of Laws,
Guru Nanak Dev University, Amritsar (Pb).

References :

1 What is Good Governance? Retrieved from https://www.unescap.org/sites/default/files/good governance.pdf visited on 26th June 2024 at 3.45 pm.
2 Justice Y.K. Sabharwal, Role of Judiciary in Good Governance retrieved from https://highcourtchd.gov.in visited 28th June 2024 at 2.34 pm.
3 Mr. Anurag Sharma, Ideology of Good Governance and the Role of the Supreme Court in the Implementation of Good Governance, retrieved from https://nluassam.ac.in visited on 25th June 2024 at 12.23 pm
4 D.F.J.CampbellandE.G.Carayannis,Epistemic GovernanceinHigher Education,3(Springer, 2013/https://link.springer.com/ book/10.1007/978-1-4614-4418-3).
5 Id, 3
6 Retrieved fromhttps://en.wikipedia.org/wiki/Governance visited on 2nd November 2023 at 2.56 pm.
7 Ibid.
8 What is Good Governance? Retrieved from http://creativelearning.org/blog/2021/10/14/what-is-good-governance visited on 27th June 2024 at 2.45 pm.
9 "MadhavGodbole, "GoodGovernance: ADistantDream"39EPW1103(2003).
10 Ibid.
11 Retrieved from MadhavGodbole, "GoodGovernance:ADistant Dream"39EPW1103 (2003) visited on 23rd June 2024 at 4.34 pm.
12 Retrieved from; https://blog.ipleaders.in/balancing-fundamental-rights-good-governance (with Constitution of India 1950) visited on 21st June 2024 at 3.34 pm.
13 Ibid.
14 ChiefJustice J.S. Verma, "Improving Governancethrough theJudicial Process" Addresstothe Supreme Court Judges, Singapore on 31 October 2011, retrieved from http://aic.ris.org.in/sites/default/files/ Improving- Governance visited on 24th June 2024 at 12.23 pm.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पाठ्यक्रम एवं कौशल विकास का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विश्लेषणात्मक अध्ययन

– **देवकी रावत,** शोधार्थिनी

– **डॉ. बिन्दु सिंह,** सहायक प्रोफेसर

सारांश – राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण सुधार का प्रतीक है, जिसमें पाठ्यक्रम और कौशल विकास को एक नए दृष्टिकोण से देखा गया है। इस नीति ने शिक्षा के दोनों क्षेत्रों में व्यापक और समग्र सुधार की दिशा में कदम उठाए हैं, जो छात्रों को एक आधुनिक, व्यावसायिक और समावेशी शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य को पूरा करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने पारंपरिक पाठ्यक्रम की संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। पहले की अपेक्षा, पाठ्यक्रम को अब अधिक लचीला और विविधतापूर्ण बनाया गया है, ताकि यह केवल सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित न रहे। इसके तहत, पाठ्यक्रम में व्यावहारिक और जीवन कौशल को शामिल किया गया है, जो छात्रों को वास्तविक जीवन की चुनौतियों के लिए तैयार करता है । यह नीति यह मानती है कि शिक्षा को केवल शैक्षिक ज्ञान तक सीमित नहीं रखा जा सकताय बल्कि, इसे छात्रों की रुचियों और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जाना चाहिए। कौशल विकास राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का एक केंद्रीय तत्व है। पारंपरिक शिक्षा प्रणाली में कौशल विकास को मुख्य रूप से शिक्षा के बाद के स्तर पर रखा गया था, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने इसे शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर एक अनिवार्य भाग माना है।

मुख्य शब्द : राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, पाठयक्रम, कौशल विकास।

प्रस्तावना – राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय शिक्षा प्रणाली के समग्र पुनर्निर्माण और सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। यह नीति शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार, समावेशिता, और समग्र विकास की दिशा में एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। इसके तहत भारत की शिक्षा प्रणाली को 21वीं सदी की आवश्यकताओं और चुनौतियों के अनुरूप ढालने की कोशिश की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत, शिक्षा की संरचना को "5+3+3+4" के ढांचे में पुनर्गठित किया गया है। इसमें प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा को 3 से 8 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य किया गया है। यह संरचना बच्चों के विकास और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए बनाई गई है। इसके अंतर्गत, 5 साल की पूर्व – प्राथमिक शिक्षा, 3 साल की प्राथमिक शिक्षा, 3 साल की मध्यवर्ती शिक्षा, और 4 साल की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा शामिल हैं । यह ढांचा बच्चों की उम्र और विकासात्मक आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पाठयक्रम :

- 5+3+3+4 संरचना : राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने शिक्षा की संरचना को 5+3+3+4 ढांचे में पुनर्गठित किया है, जो इस प्रकार है :
- **प्रारंभिक शिक्षा :** 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए पांच साल की पूर्व प्राथमिक शिक्षा।
- **प्राथमिक शिक्षा :** कक्षा 1 से 5 तक 6 से 8 वर्ष की आयु।
- **मध्यवर्ती शिक्षा :** कक्षा 6 से 8 तक 9 से 12 वर्ष की आयु।
- **उच्चतर माध्यमिक शिक्षा :** कक्षा 9 से 12 तक 13 से 16 वर्ष की आयु।

पाठ्यक्रम के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अध्ययन की आवश्यकता – राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत पाठ्यक्रम के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अध्ययन की आवश्यकता और महत्व को समझने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दिया जा सकता है :–

• **उपलब्धियों और सुधार की आवश्यकता** : राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की शुरुआत के साथ, यह आवश्यक हो गया है कि पाठ्यक्रम का मौजूदा परिस्थितियों के अनुसार पुनः मूल्यांकन और सुधार किया जाए । यह अध्ययन यह समझने में मदद करता है कि वर्तमान पाठ्यक्रम कैसे छात्रों की बदलती आवश्यकताओं और समाज के विकास के साथ मेल खाता है ।

• **आजीविका और कौशल विकास** : पाठ्यक्रम को व्यावसायिक कौशल और जीवन – कौशल पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता । अध्ययन यह पहचानने में मदद करता है कि पाठ्यक्रम कितनी अच्छी तरह से छात्रों को व्यावसायिक दुनिया के लिए तैयार कर रहा है और उनके कौशल को कैसे बढ़ावा दे रहा है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कौशल विकास

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक क्रांतिकारी पहल है, जिसका उद्देश्य न केवल शिक्षा के स्तर को सुधारना है बल्कि इसे एक ऐसे रूप में विकसित करना है जो व्यावसायिक और कौशल आधारित प्रशिक्षण को प्राथमिकता देता है। इस नीति के तहत, कौशल विकास पर एक विशेष ध्यान दिया गया है, जो शिक्षा के पारंपरिक दृष्टिकोण से बाहर निकलकर एक व्यावहारिक और रोजगार – उन्मुख शिक्षा प्रणाली की ओर इशारा करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने यह मान्यता दी है कि शिक्षा को सिर्फ शैक्षिक सिद्धांतों तक सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि इसका उद्देश्य छात्रों को वास्तविक जीवन के अनुभव और कौशल भी प्रदान करना चाहिए जो उन्हें आज के प्रतिस्पर्धी नौकरी बाजार में सफल बनाने में मदद कर सके । राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, कौशल विकास को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष कौशल प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की जाएगी। ये केंद्र न केवल तकनीकी शिक्षा प्रदान करेंगे बल्कि उद्यमिता और नवाचार को भी बढ़ावा देंगे।

कौशल विकास का वर्तमान परिप्रेक्ष्य – राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देती है। इसके तहत, शिक्षा को केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि इसका लक्ष्य छात्रों को जीवन कौशल और पेशेवर क्षमता के साथ सुसज्जित करना है । इस दृष्टिकोण से, कौशल विकास एक केंद्रीय तत्व बन गया है, जो शिक्षा की गुणवत्ता और रोजगार के अवसरों को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने कौशल विकास को एक व्यापक दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता को उजागर किया है। इसमें कौशल विकास की प्रक्रिया को शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर समाहित करने का सुझाव दिया गया है, जिससे छात्रों को प्रारंभिक अवस्था से ही व्यावहारिक और पेशेवर कौशल प्राप्त हो सके ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पाठ्यक्रम एवं कौशल विकास – राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव का प्रस्ताव रखा है, जिसमें पाठ्यक्रम और कौशल विकास दोनों को नए दृष्टिकोण से देखा गया है। इस नीति के तहत पाठ्यक्रम और कौशल विकास के क्षेत्रों में जो सुधार किए गए हैं, उनके तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि कैसे इन दोनों क्षेत्रों को समन्वित करने का प्रयास किया गया है और किस प्रकार से वे एक–दूसरे को सशक्त बना सकते हैं। पहले, पाठ्यक्रम की संरचना पर ध्यान केंद्रित किया जाए तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने इसके विस्तार और विविधता को महत्वपूर्ण माना है। पारंपरिक पाठ्यक्रम जो मुख्यतः अकादमिक ज्ञान पर आधारित था, अब इसे व्यावहारिक और जीवन कौशल से जोड़ा गया है। यह नीति पाठ्यक्रम में लचीलापन और बहु–आयामी दृष्टिकोण पर जोर देती है, ताकि छात्रों को न केवल विशिष्ट विषयों का ज्ञान हो, बल्कि उन्हें विभिन्न दृष्टिकोणों और कौशलों का भी अनुभव हो सके।

उपसंहार :– राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने

भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया है, जो पाठ्यक्रम और कौशल विकास के दृष्टिकोण को एक नए परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करता है। पाठ्यक्रम की संरचना को लचीलापन और विविधता प्रदान करके, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने इसे केवल सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित रखने के बजाय, व्यावहारिक और जीवन कौशल के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। जिसमें पाठ्यक्रम मुख्यतः अकादमिक ज्ञान पर केंद्रित था और कौशल विकास व्यावसायिक प्रशिक्षण तक सीमित था । राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने इस परिप्रेक्ष्य को बदलते हुए, दोनों को एक समग्र दृष्टिकोण से जोड़ने का प्रयास किया है। यह नीति पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों की रुचियों और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूलित करने की ओर अग्रसर है।

– **देवकी रावत** (शोधार्थिनी)
शिक्षा शास्त्र
आई.एफ.टी.एम. विश्वविद्यालय, मुरादाबाद

– **डॉ. बिन्दु सिंह** (सहायक प्रोफेसर)
शिक्षा शास्त्र
आई.एफ.टी.एम. विश्वविद्यालय, मुरादाबाद

संदर्भ :

- **बी. एस. राय** (2021). National Education Policy 2020 : A Critical Analysis. Oxford University Press.
- **राजेन्द्र कुमार** (2022). Revamping Education : The National Education Policy 2020. Sage Publications.
- **सुषमा शर्मा** 44 (2022). Education Reforms in India : NEP 2020 and Beyond. Routledge.
- **अमित अग्रवाल** 3 3d (2023). Curriculum and Skill Development: The NEP 2020 Perspective. Cambridge University Press.

"AI-Driven Financial Strategies : Transforming Business Decision Making."

- Dr. Abhishikha Parmar

Abstract :

Artificial Intelligence (AI) is reshaping the landscape of financial strategy formulation and decision - making in businesses. This paper explores how AI technologies, including machine learning, predictive analytics, and natural language processing, are driving transformative changes in financial planing risk management, investment analysis and real - time decision - making. The study also highlights the opportunities and challenges of AI adaption in finance and outlines best practices for integrating AI into Strategic business decisions.

Keywords : Artificial Intelligence, Business Decision making.

Introduction :

The digital revolution has propelled AI into nearly every industry, and finance is no exception.

Financial decision - making. Once heavily reliant on historical data and human intution, is now increasingly support by AI - driven tools capable of real time analysis, forecasting and automation. This transformation is enabling businesses to make faster, more accurate and data informed decisions.

Role of AI in Financial Strategy.

Predictive Analytics - AI uses large data sets to forecast market trends, cash flow and customer behavior.

Algorithmic Trading - AI Powered trading system execute high frequency trades with precision, reacting to market changes in milliseconds -beyond human capabilities.

Portfolio Management - Robo advisors analyze risk tolerance and financial goals to automatically allocate and rebalance investment portfolios.

Risk Assessment & Fraud Detection - AI systems can detect irregular patterns and anomolies, helping indentify credit risks, potential defaults and fraudulent activities with higher accuracy than traditional methods.

Impact on Business Decision Making.

Data - Driven Decision culture of data - centric decision - making, leading to more objective and scalable strategies.

Date - Driven Decision Culture - business using AI develop a culture of data - centric decision - making, leading to more objective and scalable strategies.

Real - Time Insights - AI provides real - time dasboards and insights, enabling executives to make timely decisions during markets shifts or operational crises.

Strategic Planning and forecasting - AI tools assist CFOs and strategists in building financial models that incorporate various economics scenarious, improving long - term planning.

Challenges in AI Integration.

Data quality and Availability : AI Systems require large volumes of high - quality data.

Ethical and Regulatory Concerns : Bias in algorithm and data privacy remain key issues.

Work force Re-skilling : Finance professionals must adpat to new tools and analytical techniques.

Future Prospects :

- AI + Blaokchain for Transparent Finance.
- Hyper - personalized Financial Services.
- AI Governance Models for Compliance and Ethics.

Conclusion :

AI - driven financial strategies are revolutionizing how businesses operate, manage risk, and create value while challenges remain, the integration of AI into financial decision making processes is becoming a competitive necessity for modern businesses.

- Dr. Abhishikha Parmar
9-B, Indrapuri, Sethi Nagar, Ujjain (M.P.)
Mob. 8319634382

References :

1. Mackinsey & company (2023) AI in Finance : the next Frontier.
2. Deloitte (2024) AI and the CFO : A strategic partnership.
3. PWC (2023) Financial Services Technology 2020
4. Harvard business Review (2023) The impact of AI on corporate Finance.

दलित शिक्षा : जाति एवं अर्थव्यवस्था के संदर्भ में

– डॉ. प्रताप जगन्नाथ फलफले

प्रस्तावना :

जब 1948–49 में भारतीय संविधान सभा के एक सदस्य ने भारत के सीमित संसाधनों को देखते हुए शिक्षा के प्रावधान पर चर्चा करते हुए सुझाव दिया कि अनुच्छेद 45 में अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा के लिए आयु सीमा 14 के स्थान पर 11 वर्ष होनी चाहिए।डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर ने इसका कड़ा विरोध किया और कहा कि ऐसा प्रावधान करने का अर्थ होगा कि इस आयु के बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, बल्कि मजदूरी करेंगे। अम्बेडकर ने दृढ़तापूर्वक कहा था कि स्वतंत्र भारत में बच्चों को स्कूलों में होना चाहिए, न कि कारखानों या खेतों में। बेशक, शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य होनी चाहिए। वर्तमान स्थिति में गरीब और अमीर छात्रों को उपलब्ध शैक्षिक सुविधाओं में बहुत अंतर है। ऐसा क्यों? यह सत्य सिर्फ आज का ही नहीं है। यह एक परंपरा है जिसका पालन पीढ़ियों से किया जा रहा है। पहले यह जाति आधारित था, लेकिन आज यह लागत आधारित हो गया है। भारत की असमान सभ्यता इसके लिए जिम्मेदार है। काफी समय बीत चुका है, लेकिन कुछ भी नहीं बदला है। एकमात्र परिवर्तन असमानता के सिद्धांतों को लागू करने के तरीके में हुआ है। नस्ल एवं जाति के आधार पर एक व्यक्ति को छोटा

दिखाने और दूसरे को ऊंचा दिखाने की प्रक्रिया चलती रहती है।

प्राचीन काल से ही भारतीय उच्च जाति समाज को दूसरों की शैक्षिक आवश्यकताओं में कोई रुचि नहीं रही है। समाज असमानता के सिद्धांत की वकालत करता रहा है। भले ही हम आज संविधान पर आधारित सामाजिक व्यवस्था का पालन करते हैं, लेकिन राजनीतिक उच्च जातियों की अंतर्निहित प्रवृत्तियों में अभी भी सकारात्मक बदलाव नहीं आया है, और इसका कारण हमारी जाति व्यवस्था है। अन्यथा मानव मन में दूसरों के प्रति हीनता की भावना उत्पन्न ही न होती। यद्यपि इस जाति व्यवस्था की प्रकृति प्रारंभ में एक खुली सामाजिक व्यवस्था की वकालत करती थी, लेकिन समय के साथ इसे आज तक एक बंद सामाजिक व्यवस्था के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है। इसका मतलब यह है कि ऊंची जातियों को असमान सामाजिक संरचना की नींव को मजबूत करने में खुशी मिलती है। इससे उन्हें अपनी भौतिक उन्नति एवं सुख की पूर्ति के लिए अक्षय स्रोत प्राप्त होते हैं।

यद्यपि यूरोपीय दार्शनिक नीत्शे ने ऐसे समाज की वकालत की थी, लेकिन ऐसी प्रवृत्ति मानव विकास के लिए हानिकारक है। ऐसी जाति व्यवस्था से जाति का अस्तित्व उभरा और उच्च एवं निम्न वर्ग के लोगों के बीच की खाई और अधिक चौड़ी होती गई। इसलिए, एक समतावादी समाज बनाने के लिए, डॉ. अंबेडकर ने जीवन भर संघर्ष किया, फिर भी आज सामाजिक जीवन की तस्वीर बड़ी विचित्र है। इसका कारण उन्हें मिलने वाली शिक्षा की गुणवत्ता है। बेशक, नए संविधान द्वारा सृजित देश की आर्थिक समृद्धि से समाज के कुछ अन्य वर्गों को भी लाभ हुआ है। यह प्रक्रिया पिछले 50–60 वर्षों से ही जारी है। जैसे–जैसे बीसवीं सदी समाप्ति की ओर बढ़ रही है, यहां के राजनीतिक अभिजात वर्ग ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक नया अध्याय शुरू कर दिया है, एक लागत आधारित शिक्षा प्रणाली की शुरुआत की हैं, और एक बार फिर दूसरों को जीवन भर हाशिये पर रख दिया है।

जाति–आधारित और आर्थिक–मूल्य–आधारित शिक्षा प्रणालियों में कोई अंतर नहीं है। इन सभी प्रणालियों का मूल सिद्धांत एक ही है। अर्थात् किसी भी तरह से दूसरों को शिक्षा से वंचित करना। यदि पहले निम्न जातियों के लोगों को निम्न गुणवत्ता वाली शैक्षिक सुविधाएं प्राप्त होती थीं, तो निम्न आर्थिक स्थिति वाले छात्रों को भी निम्न गुणवत्ता वाली शैक्षिक सुविधाएं प्राप्त होंगी। क्योंकि निम्न आर्थिक स्तर पर मुख्यतः निम्न जातियों के लोग रहते हैं। इसलिए, यदि इस आर्थिक स्तर के छात्र किसी तरह प्रवेश पाने में सफल हो भी जाते हैं, तो उनकी आगे की शिक्षा प्रक्रिया धीरे–धीरे वित्तीय तनाव के कारण संघर्षपूर्ण हो जाती है।

नई आर्थिक–मूल्य–आधारित शिक्षा प्रणाली केवल उच्च जातियों के लिए शिक्षा प्रदान करती है। इसका दूसरा अर्थ यह है कि दलितों को अब उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा नहीं मिलेगी। यानी कल तक जाति, वर्ण के आधार पर शिक्षा के रास्ते अन्य लोगों के लिए बंद थे और आज भी बंद ही रहेंगे। इसलिए, आर्थिक रूप से मूल्यवान तकनीकों का उपयोग फिर से दूसरों को शिक्षा से वंचित करने के उसी सिद्धांत का पालन करता हुआ पाया जाता है। राजनीतिक अभिजात वर्ग चाहे कोई भी नई शिक्षा प्रणाली लागू करे, प्लेटो के मूल सिद्धांत अपरिवर्तित रहेंगे। केवल इसका बाह्य स्वरूप बदलता है। जैसे आज हम 'कास्ट' का रूप बदलकर 'कॉस्ट' में बदल गए हैं। लेकिन ये दोनों अवधारणाएँ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यही कारण है कि, यदि हम इक्कीसवीं सदी में अन्य लोगों को प्राप्त होने वाले शैक्षिक स्तर पर विचार करें, तो हमें यह एहसास होने लगेगा कि कल तक जो शोषण की व्यवस्था थी, वह आज भी वैसी ही है। एकमात्र अंतर यह है कि वे दूसरों का शोषण किस प्रकार करते हैं, और मुख्यतः उन्हें शिक्षा से वंचित करके। यही कारण है कि भारतीय शिक्षा प्रणाली का मूल सिद्धांत कभी नहीं बदलता।

दलित, अन्य समुदायों की आर्थिक गति अब धीमी पड़ रही है। अन्य लोगों की पहली पीढ़ी को अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने वाले इन निजी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश पाने की क्षमता कैसे होगी? ऐसा नहीं है कि सरकार को यह बात पता नहीं है, लेकिन सरकार आर्थिक–मूल्य आधारित शिक्षा प्रणाली को लागू करती है ताकि अन्य लोग शिक्षा प्राप्त न कर सकें। अंतर केवल इतना है कि आज 'कास्ट' का स्थान 'कॉस्ट' ने ले लिया है। संविधान पर आधारित समानता के सिद्धांत ने 'जाति' के प्रभाव को समाप्त कर दिया है, यही कारण है कि दूसरों को शिक्षा से वंचित करने की प्रथा को 'कास्ट' के माध्यम

से लागू किया जा रहा है। यह प्रथा प्राचीन काल से ही भारतीय समाज में प्रचलित रही है। अंततः, ये दोनों विधियां असमानता को कायम रखने का विज्ञान हैं।

एक ओर उच्च वर्ग के बच्चे निजी स्कूलों, विश्वविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, वहीं दूसरी ओर अन्य के लिए उपलब्ध सरकारी स्कूलों, विश्वविद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं, शिक्षकों का अभाव है। इसका मतलब यह है कि सरकार चाहती है कि अन्य लोग घटिया संस्थानों में घटिया शिक्षा प्राप्त करें। इस तरह के असमान रवैये ने हमेशा दूसरों को बिगाड़ा है। यही कारण है कि ऐसे संस्थानों में नामांकन भी निजी संस्थानों, विश्वविद्यालयों की तुलना में काफी कम हो रहा है।

असमान दृष्टिकोण के कारण अच्छी योजनाएं भी प्रभावी ढंग से क्रियान्वित नहीं हो पा रही हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लागत जाति का दूसरा रूप है। इन दोनों की मूल प्रवृत्ति शोषण है। इसलिए, राज्य में उच्च जातियों की मुख्य नीति ऐसी मुक्त घोषणाओं का दलदल बनाना और यह सुनिश्चित करना है कि छात्र हमेशा उसी काम के कीचड़ में जड़ जमाए रहे। इस तरह की साजिश का प्रतिबिंब राल्फ एलिसन की इनविजिबल मैन (1952) में दर्शाया गया है। इस उपन्यास का नायक भी अपनी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया में शामिल है, और अंत में उसे पता चलता है कि यह शाही सत्ता द्वारा उसे पूरी तरह से धोखा देने के लिए लागू की गई एक रहस्यमयी विधि है।

यदि अन्य लोग गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करके शक्तिशाली बन जाते हैं, तो सत्ता की श्रेष्ठता का प्रश्न आधिपत्यवादी विचारधारा से टकराएगा, यही कारण है कि सत्ता हमेशा शक्तिहीनों का समाज बनाना चाहती है। यह कार्य सरकार के लिए तभी आसानी से संभव है जब वह दूसरों को शिक्षा और आर्थिक सशक्तीकरण से वंचित रखे। ऐसी साजिश के कारण ही राजनीतिक अभिजात वर्ग अपनी भौतिक उन्नति के लिए आसानी से तुच्छ राजनीति कर सकता है। इसमें दलित समुदाय को हमेशा धोखा दिया जाता है और इसके कारण दलित शिक्षा की समस्या कभी हल नहीं हो पाती।

निष्कर्ष :

महात्मा फुले, राजर्षी शाहू, डॉ.आंबेडकर,महर्षि शिंदे को शिक्षा को सार्वभौमिक और बहु–पीढ़ीगत बनाना चाहिए। आज भी हमारे शासक अंबेडकर के आग्रह को अमल में नहीं ला पाए हैं। समान शैक्षिक अवसरों तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के मार्गदर्शक सिद्धांतों को कभी–कभी कमजोर किया गया है। वर्ष 2000 में किये गये एक सर्वेक्षण के अनुसार विश्व की कुल निरक्षर जनसंख्या का 54 प्रतिशत हिस्सा भारत में है। और ये निरक्षर लोग भी मुख्यतः दलितों, आदिवासियों, अन्य पिछड़े वर्गों और कृषक समुदायों से हैं। दूसरी ओर, व्यक्तिगत सम्मान, स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय जैसे शब्द आज ग्रामीण जनता के लिए खोखले शब्द बन गए हैं।

1990 के बाद सरकार द्वारा अपनाई गई वैश्वीकरण और निजीकरण की नीतियों ने सामाजिक और आर्थिक समानता को पूरी तरह से त्याग दिया। समानता का सामुदायिक विचार पीछे हट गया है और व्यक्तिवादी विचार हावी हो गए हैं। वितरणात्मक न्याय के प्रति भारी विरोध और आर्थिक असमानता के समर्थन की दुनिया में, शोषित और वंचितों के प्रति उदासीनता और उदासीनता बढ़ती जा रही है। अतः इस पृष्ठभूमि में महात्मा फुले, राजर्षि शाहू महाराज, महर्षि शिंदे और डॉ. अम्बेडकर की समतावादी विचारधारा को पुनः स्थापित करना होगा।

– डॉ. प्रताप जगन्नाथ फलफले
सं.न.कला, दा.ज.मालपाणी कॉमर्स
एवं ब.ना.सारडा विज्ञान
महाविद्यालय, संगमनेर जि. अहिल्यानगर

संदर्भ :

1) डी. एम. शेंडे : लोकसत्ता 05 / 09 / 2024
2) डॉ. अनिल सदगोपाल : संसद में शिक्षा के अधिकार को छीनने वाला विधेयक : सरोकार प्रकाशन, 2009
3) भाई वैद्य : संपूर्ण शिक्षण फी–विना, समान व गुणवत्तापूर्ण का व कसे? : अखिल भारतीय समाजवादी शिक्षक परिषद द्वारा प्रकाशित, सितम्बर 2008
4) सुनील : भारत शिक्षित कैसे हुआ? आपके प्रश्न – हमारे उत्तर : सरोकार प्रकाशन, 2009
5) यूपीए के शिक्षा सुधार : दावे और हकीकत : AISA द्वारा प्रकाशित

❊ अपने प्रति सच्चे रहो और फिर विश्व में किसी और वस्तु की परवह न करो। (स्वामी विवेकानंद)

❊ संसार मे रहो, किंतु संसार के माया मोह से निर्लिप्त रहो। (स्वामी विवेकानंद)

❊ ढोंगी बनने की अपेक्षा स्पष्ट रुप से नास्तिक बनना अच्छा है। (स्वामी विवेकानंद)

❊ कभी शिकायत न करो, कभी सफाई न दो। (डिजरायली)

❊ मन के हाथी को विवेक के अंकुश से वश में रखो। (रामकृष्ण परमहंस)

❊ बड़े काम करो, पर बड़े बोल न बोलो। (पाइथागोरस)

❊ दे कर भूल जाओ, किंतु लेकर कभी न भूलो। (सेनेका)

❊ तुम्हारा दायां हाथ जो दे, उसे बायां हाथ न जानने पाये। (बाइबिल)

❊ ठगा जाना अच्छा है, किंतु ठगना अच्छा नही। (अज्ञात)

❊ कर्म को वचन के अनुरुप और वचन को कर्म के अनुरुप बनाओ। (शेक्सपीयर)

❊ सुनो अधिक से अधिक, बोलो कम से कम। (शेक्सपीयर)

❊ शत्रु के गुण ग्रहण करलो और गुरु के दुर्गुण छोड़ दो। (चाण्क्य नीति)

"तुल न सके धरती धन धाम
धन्य तुम्हारा पावन नाम।
लेकर तुम-सा लक्ष्य ललाम,
सफल काम जग जीवन राम॥"

शत शत नमन.....

पंजीयन संख्या
RNI No. MPHIN/2002/9510

डाक पंजीकृत क्रमांक मालवा डिवीजन/204/2024-2026 उज्जैन (म.प्र.)

प्रतिष्ठा में ,

पत्र व्यवहार का पता :
20, बागपुरा, सांवेर रोड,
उज्जैन 456 010 (म.प्र.)

प्रकाशक, मुद्रक पिंकी सत्यप्रेमी ने भारती दलित साहित्य अकादमी की ओर से
मालवा ग्राफिक्स, 29, वररुचि मार्ग, गुरुद्वारे के सामने, फ्रीगंज, उज्जैन फोन : 0734-4000030 से मुदित एवं
20, बागपुरा, सांवेर रोड, उज्जैन 456 010 (म.प्र.) फोन : 0734-2518379 से प्रकाशित।